स्कूल मान्यता प्रबंधन प्रणाली (SRMS)

होम (/SRMS/Default.aspx)

मान्यता आवेदन ()

रिपोर्ट ()

RTE at Once

प्रारूप 1

(नियम 11(1) देखिए)

स्कूल की मान्यता के लिए स्व घोषणा - सह-आवेदन

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

सत्र - 2022-23

आवेदन क्रमांक: 120571
स्कूल: GYANODAYA SMVM SR SEC SCHOOL
आवेदन दर्ज दिनाँक : 1/17/2022 10:57:00 AM
आवेदन लॉक दिनाँक : 2/21/2022 7:18:00 PM

दिनाँक : 23/04/2022
प्राथमिक सत्यापन कोड : 258856

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला - सागर , मध्यप्रदेश
माध्यम से: विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी(BRC), KHURAI

महोदय,

आवेदन मैं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित सन्नियमों एवं मानकों का पालन करने संबंधी स्व-घोषणा स्कूल - GYANODAYA SMVM SR SEC SCHOOL को मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन अग्रेषित कर्ता हूँ।

संलग्न:

भवदीय,

हस्ताक्षर
प्रबंध समिति के अध्यक्ष/ सचिव/ प्राचार्य
स्थान ----Khurai----
विद्यालय का नाम - GYANODAYA SMVM SR SEC SCHOOL

Principal
Gyanodaya s.m.v.m. sr. sec school
KHURAI 470117 (Sagar) M.P

PRESIDENT,
Gyanodaya S. M. V. M.
KHURAI, Distt.-Sagar (M.P.)

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SAGAR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्सः ई-मेल:

क्रमांक:/11061144/स्कूल आई.डी. - 6020 दिनांक:- 27/03/2019

प्रति,

प्रबंधक,

(GYANODAYA SMVM SR SEC SCHOOL)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदया/महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 06/02/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -GYANODAYA SMVM SR SEC SCHOOL, GURUKUL CAMPUS, KHURAI, DISTT - SAGAR, MP को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्तें कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
    - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
    - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
    - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
    - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
    - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
    - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
    - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
    - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
    - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्तें कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
    - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
    - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

PRESIDENT,
Gyanodaya S. M. V. M.
KHURAI, Distt.-Sagar (M.P.)

Principal
Gyanodaya s.m.v.m. sr. sec school
KHURAI 470117 (Sagar) M.P